Serial No. 396 – 27/07/2020

G.J. No.

सेवा में,
जिला न्यायधीश महोदय,
पीलीभीत।

दिनांक:- 27-07-2020

महोदय,

सादर! जनपद न्यायधीश, पीलीभीत के आदे"ा सं0-102/2020 दिनाँक 06-05-2020 एवं उस पर आपके पृष्ठांकन दिनाँक 08-05-2020 जिसके द्वारा जनपद न्यायधीश, महोदय ने माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन थर्मल स्क्रेनिंग चेकअप कराये जाने एवं दिनाँक 07-05-2020 को साँय 05:00 बजे तक माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ-सफाई ,सेनेटाइजशन का कार्य सम्पादित कराने तथा उक्त कार्य प्रतिदिन सम्पादित कराये जाने तथा दिनाँक 08-05-2020 से प्रत्येक दिन साँय 04:00 बजे जनपद पीलीभीत में कोरोना के खतरे एवं स्थिति के सम्बन्ध में रिर्पाट उपलब्ध कराये जाने के आदे"ा निर्गत किये गये हैं।

जनपद न्यायधीश, महोदय द्वारा निर्गत उक्त आदे"ाों के क्रम में आख्या निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है:-

कोरोना-19 से सम्बन्धित आख्या												
माननीय न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के थर्मल स्क्रीनिंग की संख्या	माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ-सफाई सेनेटाइजेशन का कार्य	जनपद पीलीभीत में अब तक कुल कितने कोविड-19 के सैम्पल हुये	कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोविड-19 के सक्रिय केसेस	कोविड-19 के रिकवर्ड केसेस	कुल कोरोना निगेटिव की संख्या	कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट आना शेष है।	जनपद में आये विदेशी यात्रियों की संख्या	विदेश से आये व्यक्तियों की संख्या जो ट्रेस नहीं हो सके।	अन्य राज्यों एवं प्रदेश के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें होम कोरेन्टाइन किया गया है	विभागीय कोरोन्टाइन की संख्या	जनपद में कुल कंटेनमेन्ट जोन क्षेत्र की संख्या
No	Yes	17662	485	260	225	14077	3100	627	06	492	01	20

नोट- 1- कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में 20 क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया बनाये गये हैं।

2-श्री देवी प्रसाद, अब्दुल कादिर, अभिषेक पाण्डे, सुनील कुमार, के0के0 सिंह, न्यायिक परिसर में न्यायिक कार्यों से सम्बन्धित कार्य करते हैं शासनादेश संख्या 1382/2020/सी एक्स-3 दिनांक 31 मई 2020 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 1-ऐसे स्थानो पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनीटाइजेशन निसंक्रमित करने हेतु 24 घण्टो के लिये तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा । कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनीटाइजेशन निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनो के अध्यासियों के द्वारा वहन किया जायेगा। बिन्दु संख्या 2- ऐसे भवनो परिसरो को पूर्ण रूप से सैनीटाइजेशन निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 1324/सेक-पाँच-5-2020 दिनांक 23 जून 2020 के अनुपालन में, कन्टेनमैन्ट जोन सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीमों का निर्धारण बिन्दु संख्या 2.1 कन्टेनमैन्ट जोन का निर्धारण। बिन्दु संख्या 2.1.1 शहरी क्षेत्र । बिन्दु संख्या 2.1.1.ए-किसी क्षेत्र में सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक धनात्मक कोविड-19 केस के लिये उस क्षेत्र को केन्द्र मानते हुये 250 मी0 रेडियस क्षेत्र/पूरे मोहल्ले को कन्टेनमैन्ट जोन बनाया जायेगा ।

कृपया उक्त के क्रम में अपने स्तर से निर्णय लेना चाहें।

अपर पुलिस अधीक्षक
पीलीभीत।

अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0)
पीलीभीत।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

पत्रांक संख्या:- मु0चि0अ0/कोआव-2019/दैनिक सूचना/2020-21/

तददिनांक

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1-जिला अधिकारी महोदय, पीलीभीत ।

27/7/2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।